

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र04 / पी0डी0एस0-07 / 2014 3518 खाद्य, पटना / दिनांक- 30/04/15

प्रेषक,

एल0 पी0 सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी,
पटना।

विषय :- जन वितरण प्रणाली के दुकानों के क्रियान्वयन, आवंटन एवं निरीक्षण के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय अधिसूचना 3517 दिनांक 30/04/15

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के दुकानों का अनुज्ञापन पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल को इकाई बनाते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 3517 दिनांक- 30/04/15 अनुमंडल पदाधिकारी को अनुज्ञापन पदाधिकार घोषित किया गया है एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-2399 दिनांक- 21/07/2006 को विलोपित कर दिया गया है। विभागीय अधिसूचना संख्या-1728 दिनांक- 25.05.2006 के कंडिका-4 में निहित प्रावधानों के आलोक में योजनाओं का क्रियान्वयन, आवंटन एवं निरीक्षण इत्यादि के संबंध में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना को शक्तियाँ एवं व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी।

अतः अनुज्ञापन प्राधिकार को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की शक्तियाँ, आवंटन निर्गत करने, अन्य विशिष्ट कार्य जो सौंपे गये हैं, के आलोक में अनुरोध है कि उक्त दिशा-निदेश को सख्ती से पालन किया जाय।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- प्र04 / पी0डी0एस0-07 / 2014 3518 खाद्य, पटना / दिनांक- 30/04/15

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, पटना को उनके पत्रांक 3517 दिनांक 30/04/15

के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।